

तारीख  
हुकम

19.9.22

पञ्जावली गेश दुधी / पञ्जावली की आदेश  
 पाठत अयलोजन कर ध्यानपूर्वक अध्यापन  
 किया गया। पञ्जावली की आदेशिका  
 दिनांक 06.02-2017 के पश्चात्  
 दिनांक 06.11.17 से लगातार 29/3/19  
 तक पुनः सम्मन तलबाना वाले पुनः  
 प्रतिवादीगण, गेश होने हेतु वादी को  
 आदेशित किया गया परन्तु वादीगण  
 द्वारा उक्त अधिस में न्यायालय के अधिस  
 की पालना नहीं की गयी। पञ्जावली  
 आदेश कार्यवाही की जाती रही। अधिस  
 वादी ने भी न्यायालय को वास्तविक  
 स्थिति से अवगत नहीं कराया।  
 अधिसवादी को यह ज्ञात था कि प्रति  
 वादीगण के सम्मन एक दो व्यक्तियों ने  
 ही प्राप्त किए थे नैसर्गिक रूप से  
 विद्वान्त श्री पालना में ही पुनः पञ्जावली  
 के आदेश पदान किए गये थे। परन्तु  
 पालना नहीं की गयी और न ही उक्त  
 होत कारण न्यायालय को बताया गया।  
 अतः पञ्जावली को इसी दृष्टि पर  
 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 55 के अन्तर्गत  
 के तहत विस्तारण का उचित समझते हैं।  
 पञ्जावली की निहाय उक्त आदेश निपटारा  
 पञ्जावली को एक मुद्रा ले नम्बर ले काम  
 की जाकर शक्ति प्राप्त हो। अतः पुनः न्यायालय  
 में पुनः अधिस

पञ्जावली मन्दिरी  
 नम्बवाडी, जिला बसवाड़ा (राज.)